

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

किशनगढ़ (अजमेर)

1. श्री रामलाल पुत्र श्री श्योजी जाति जाट निवासी ग्राम फरासिया तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0 वगै0

वादीगण

**बनाम**

1. श्री गोपाल पुत्र श्री रामचन्द्र जाति जाट निवासी ग्राम फरासिया तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0 वगै0

प्रतिवादीगण

किस्म मुकदमा - धारा 53, 188 राज0काश्त0 अधिनियम 1955

नंबर 98 / 2024

ऑन लाईन नंबर 2024 / .....

वकील वादीगण श्री ध्रुव सिंह चौधरी

वकील प्रतिवादीगण .....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
05/06/24	<p>यह वाद पत्र वादीगण की ओर से वकील श्री ध्रुव सिंह चौधरी ने अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया। वाद पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया, वकील वादीगण को सुना गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। वादीगण को निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण के सम्मन तामिल, सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ-साथ वाद पत्र दस्तावेज व सम्मन आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। पत्रावली आगामी कार्यवाही हेतु नियत दिनांक 08/06/2024 को पेश हो।</p>	
25/06/24	<p>वकील वादीगण द्वारा पत्रावली तामिल कर खारिज करने का वाद पेश करने के कारण पत्रावली आदिनांक को पेश हुई प्रतिवादीगण व वकील वादीगण द्वारा राजीनामा हो जाने के कारण वादीगण उक्त वाद को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। अतः वादीगण द्वारा पेश वा.पत्र. वाद पत्र वादीगण का वाद खारिज करने का वाद स्वीकार किया जाता है एवं वादी का वाद इन्हीं खरपर खारिज किया जाता है। पत्रावली केवल शुमार हेतु पत्रावली नाबर दे का है।</p>	<p>उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)</p> <p>उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)</p> <p>वकील प्रतिवादीगण</p> <p>25/06/24</p>